

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6/7/22	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उच्चप्रपक्ष उपास्थित आए। दिनांक 25.5.22 प्रशासन गोवो के सेग फॉलोअप कैंप में मजमेआम में यह जाहिर हुआ कि वादी सं. 1 पन्नालाल की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कामम मुकामान हेतु प्रार्थना पत्र विधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आज दिनांक व्यामालम में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिवक्ता वादी को निर्देशित किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी 25-7-22 को आवश्यक रूप से कामम मुकामान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें अत्रथा परिसीमा अधिनियम की धारा -120 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली 25-7-22 को पेश हो।</p>	
25-7-22	<p>पत्रावली पेश इस वादी अधिसापक्ष उपास्थित पत्रावली वाले कामम मुकामान प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते आगामी दिनांक 1-8-22 को पेश हो।</p>	
1.8.22	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपर भापे 1 वादी सं. 1 की मृत्यु हो चुकी है। अधिवक्ता वादी के अवगत मालामाल कि मृत्यु हुई 5-6 माह हो चुके हैं आदिमानक विधिक बरिदाल को अधिवक्ता पर लेने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया है। परिसीमा अधिनियम में स्पष्ट रूप से धारा -120 में उल्लेख है कि किसी नाद में वादी की मृत्यु उपरांत उसके विधिक बरिदाल को रिकॉर्ड पर 30 दिन में किया जाना चाहिये परन्तु विधिक बरिदाल</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

मे शकस प्रदत्त किये जाते है उपरल्ल
भी प्रमाण पत्र केसा ही किये गये
वादी की शर्तु है मने से सावा
इसी स्तर पर abate किये जाता
है

पत्रवाली फेदाल शुमार है 1 म्वा
से कत की जाया सखिम दफ्तर
है

जिसे म्वा जका है -
इसलात हुसना शम्स
पाम

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)